२०।१।२६

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। आज संक्षिप्त की कार्यवाही उपरान्त वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर पृथक शामिल किया गया। प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनः पेशी में ली जावे।

आदेश सुनाया गया

Gams 2021/43

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:36 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढजिला–श्रीगंगानगर

टेकचन्द बनाम सुगनाराम व अन्य

किस्म मुकदमाः–53,188,209 आरटीए प्रकरण संख्याः–178 / 2021 GCMS:- 2021/43

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२८.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही आज भी प्रभावी है। वकील वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके रोही सरदारपुर खर्था की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 116 / 29 के खसरा संख्या 229 में 7.741 हैक्टर व खसरा संख्या 230 में 7.945 हैक्टर इस प्रकार कुल 15.686 हैक्टर बारानी में 1.822 हैक्टर बारानी भूमि खातेदारी दर्ज है। वादी को घरू बंटवारा में रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा संख्या 229 में 0.253 हैक्टर बारानी भूमि जिसके उत्तर दिशा में सींव पर व दक्षिण दिशा में भादरराम व पूर्व दिशा में प्रभुदयाल व पश्चिमी दिशा में सुनितादेवी व इसी खसरा संख्या 229 में 0.784 हैक्टर बारानी भूमि के उत्तर दिशा में सींव पर व दक्षिण दिशा में हुकमाराम वगेरा व पूर्व दिशा में केशूराम व पश्चिम दिशा में प्रभुदयाल व खसरा संख्या 230 में 0.784 हैक्टर बारानी भूमि जिसके उत्तर दिशा में खसरा संख्या 229 से चिपता व दक्षिण में केशुराम व पूर्व दिशा में सुगनाराम व पश्चिमी दिशा में इस खसरा के चिपती सींव पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा को भारी मेहनत से सुधारा है। खाद आदि डालकर प्रतिवादीगण से ज्यादा उपजाउ बनाया है। प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ती आ गई है। वह वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होने की फिराक में है। वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा से बेदखल करना चाहते है। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जावे। वकील वादी की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड रोही सरदारपुरा खर्था की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 116 नई 29 पुरानी के खसरा संख्या 229 की 7.741 हैक्टर व 230 की 7.945 हैक्टर कुल 15.686 हैक्टर बारानी भूमि वादी व प्रतिवादी–1 ता 10 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। वादी के नाम 1.822 हैक्टर भूमि अंकित है। वादी, प्रतिवादी–1 ता 10 से जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर वाद पत्र की मद संख्या 03 में अंकित कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है। इसलिये संयुक्त खाता की भूमि में वादी का जमाबन्दी में उनके अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके रोही सरदारपुरा खर्था की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 116 नई 29 पुरानी के खसरा संख्या 229 की 7.741 हैक्टर व 230 की 7.945 हैक्टर कुल 15.686 हैक्टर बारानी भूमि में से वादी के नाम अंकित 1.822 हैक्टर भूमि का मौका पर उनके कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर तहसीलदार सूरतगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 2000/– दो हजार मात्र वादी द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ वादी का जमाबन्दी में उसके अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर 15 दिवस में नक्शा एवं नवीन जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश की जावे। निर्णय आज दिनांक २८.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भरत जयप्रकाश मीना) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena.
Date: 2026.01.29 12:37:36 IST
Reason: SelfAttested